hans

| PAGE 1 OF 4 | अभियोजन साक्षी संख्याः 06 |
|---|---|

| न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06<br>जनपद – कानपुर देहात। | | |
|---|---|---|
| सत्र वाद संख्या- 1595/2020 | | |
| राज्य | **बनाम** | रामनरेश |

| नाम साक्षीः<br>धर्मेन्द्र मलिक पुत्र स्व० भगवत सिंह | अपराध संख्या-48/2020 |
|---|---|
| उम्रः लगभग 50 वर्ष,<br><br>पेशाः पुलिस उपनिरीक्षक | धारा- 302 भा0 द 0 वि0 |
| वर्तमान तैनाती पता साक्षीः<br>थाना- मुहम्मदाबाद, जनपद-फतेहगढ़ | थाना-सट्टी, कानपुर देहात। |

**दिनांकः-29.01.2026**

मैं **साक्षीः धर्मेन्द्र मलिक पुत्र स्व० भगवत सिंह, उम्रः लगभग 50 वर्ष, पेशाः पुलिस उपनिरीक्षक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः थाना- मुहम्मदाबाद, जनपद-फतेहगढ़** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 20.04.2020 को मैं थानाध्यक्ष सट्टी के पद पर तैनात था। उसी दिन रात्रि में पौने आठ बजे उच्चाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया था कि ग्राम महकापुर में तारादेवी मजरुबी हालत में सीएचसी पुखरायाँ लायी गयी थी, जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी है। शव को उसके ससुरालवाले छोड़कर चले गये हैं। रात में ही फौती सूचना सी०एच०सी० पुखरायाँ से प्राप्त हुई थी कि तारादेवी का शव सीएचसी पुखरायाँ में रखा है। आवश्यक कार्यवाही हेतु उ०नि० चैनपाल सिंह को थाने से रवाना किया गया था। मैं थानाध्यक्ष भी मौके पर सीएचसी पुखरायाँ पहुँच गया था। उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी थी।

2. पंचनामा की कार्यवाही हेतु उ०नि० श्री चैनपाल सिंह को पंचनामा भरने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 21.04.2020 को घटना के संबंध में मृतका तारादेवी के पिता पुत्र रामस्वरुप सिंह ग्राम हराहरा पोस्ट नोनापुर थाना भोगनीपुर द्वारा तहरीर थाने में दी गयी थी जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता के दृष्टिगत मेरे द्वारा इस केस की विवेचना स्वयं ग्रहण की गयी थी।

3. विवेचना के क्रम में नकल चिक व नकल रपट का अवलोकन किया गया। हे० का० रामवीर (एफआईआर लेखक) का बयान अंकित किया गया। तत्पश्चात वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया।

4. वादी मुकदमा रमेश सिंह का बयान अंकित किया गया जिन्होंने बताया कि मेरी पुत्री तारादेवी उर्फ लक्ष्मी की शादी वर्ष 2008 में रामनरेश उर्फ भूरा निवासी ग्राम महकापुर के साथ हुई थी। दिनांक 20.04.2020 समय करीब साढ़े सात बजे रामनरेश व उसके बड़े भाई केशपाल, रविन्द्र, श्रीमती रश्मि ने मिलकर तारादेवी को लोहे की राड एवं दो किलो वजनी बांट से मारा, उसके बाद यह लोग रामनरेश, केशपाल, रविन्द्र, मेरी बेटी की सास राजवती गांव से प्राइवेट गाड़ी करके सीएचसी पुखरायाँ ले गयीं जहाँ चिकित्सकों ने मेरी बेटी तारादेवी को मृत घोषित कर दिया। मेरी बेटी को सीएचसी पुखरायाँ में मृत अवस्था में छोड़कर ससुरालीजन भाग गये थे। मेरा बेटा राजू घटना के समय मेरी बेटी तारादेवी की ससुराल में था। मेरी बहन सुषमा की शादी भी ग्राम महकापुर में ही हुई थी। मेरी बेटी के साथ मेरे दामाद की अनबन काफी समय से चल रही थी। वह उसको मारता पीटता था। घटना वाले दिन राजू ने रामनरेश को समझाया था। मेरी बेटी के मरने की सूचना उसकी बुआ सुषमा को भी हुई थी। वह भी मौके पर पहुँच गयी थीं। तब मेरी बहन सुषमा व बेटे राजू ने तारादेवी को लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए देखा था। इसके बाद मेरी बेटी तारादेवी को सबलोग मिलकर पुखरायाँ स्थित अस्पताल ले गये थे। घटना की सूचना मेरे बेटे राजू ने मुझे फोन द्वारा दी गयी थी तब हमलोग घटनास्थल पर पहुँचे थे।

5. तत्पश्चात मेरे द्वारा उस स्थान का निरीक्षण किया गया जहाँ पर मृतका तारादेवी को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा मारापीटा गया था। मकान में तारादेवी का एक कमरा था जिसमें उसका एक बेड, अलमारी, फ्रिज आदि सामान रखा हुआ था। बेड पर बिछी बेडशीट खून से सनी हुई थी। बेड के पास में ही दो किलोग्राम का एक लोहे का बाँट पड़ा हुआ था जिस पर (बांट) खून लगा हुआ था। बेड पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। जिन्हें एक कपड़े में रखकर सर्वसीलमुहर किया गया था। खून से सने लोहे के बाँट व बेडशीट को एक सफेद कपड़े में सर्वसीलमुहर किया गया था। मौके पर ही घटनास्थल का मानचित्र तैयार किया गया था। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **<u>प्रदर्श P-4</u>** अंकित किया गया।

6. मौके पर ही आलाकत्ल लोहे का बाँट व बेडशीट व पाँच अदद टूटी हुई चूडियों के टुकड़े की फर्द तैयार की गयी थी जिसे सीलसर्वमुहर कर थाने में दाखिल किया गया था। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **<u>प्रदर्श P-5</u>** अंकित किया गया। फर्द पर वादी मुकदमा, आरक्षी सचिन कुमार व अमित कुमार के हस्ताक्षर बनवाये थे।

7. लोहे का बाँट, बेडशीट व पाँच अदद टूटी हुई चूडियाँ जो घटनास्थल से एकत्र कर मेरे द्वारा सर्वसीलमुहर की गयीं थीं वे सभी वस्तुएं आज न्यायालय में मेरे सामने हैं। कपड़े को खोलकर देखा गया तो कपड़े में सर्वसीलमुहर किया गया दो किलोग्राम का बाँट, बेडशीट व टूटी हुई चूडियाँ प्राप्त हुआ जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही दो किलोग्राम का बाँट, बेडशीट व टूटी हुई चूडियों के पाँच टुकड़े हैं जिन्हें घटनास्थल वाले कमरे से बरामद किया गया था। जिनकी मैं पुष्टि करता हूँ। **दो किलोग्राम के बाँट पर वस्तु प्रदर्श-1, बेडशीट पर वस्तु प्रदर्श-2 व टूटी हुई चूडियों के पाँच टुकड़ों पर वस्तु प्रदर्श-3,4,5,6,7** अंकित किया गया।

8. मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचनामा का अवलोकन किया गया। उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्त रामनरेश के संबंध में मुखबिर द्वारा बताया गया कि वह अपने ग्राम महकापुर से ग्राम नौबादपुर की तरफ जा रहा है। जल्दी की जाये तो वह पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर मैं हमराहियों के साथ ग्राम शेखपुर से नौबादपुर जाने वाले रास्ते पर नहर की पुलिया पर बीस कदम आगे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने अपना नाम रामनरेश बताया। रामनरेश को दिनांक 20.04.2020 को समय 09.55 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त रामनरेश को थाने में दाखिल किया गया और उसके बयान अंकित किये गये। अभियुक्त रामनरेश ने बताया कि मेरी तारादेवी के साथ बात न मानने के कारण अनबन चल रही है। वह अपनी मर्जी से कहीं आती जाती है। मेरी बात नहीं मानती है। इसी अनबन के चलते दिनांक 19.04.2020 को मैं घर से चला गया था। दिनांक 20.04.2020 को जब मैं घर वापस आया तो तारादेवी ने मुझे खाना दिया और बच्चों को बेड पर सुला दिया। जब वह मेरे साथ चारपाई पर नहीं लेटी तो मुझे लगा कि उसने खाने में कुछ मिला दिया है जिससे मेरा दिमाग घूम गया और मैंने पास में पड़े लोहे के बाँट को उसके सिर पर मार दिया जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गयी थी।

9. विशम्भर, राजवती, छोटेलाल, रमेश, कोमल उ०नि० चैनपाल, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक अमित कुमार का भी बयान मेरे द्वारा अंकित किया गया। चिकित्सक द्वारा मृत्यु का कारण SHOCK AND HAEMORRHAGE बताया गया जो कि मृत्यु पूर्व आयीं चोटों से अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण था।

10. आरक्षी सचिन, अमित, महिला आरक्षी कविता का बयान अंकित किया गया। शरद कुमार, राजू, महाराज सिंह, रामप्रकाश व शिवपाल का बयान अंकित किया गया। वादी व उसके पुत्र राजू ने घटना के संबंध में दिये गये शपथपत्रों का अवलोकन किया गया तथा वादी, राजू व रामवती का बयान अंकित किया गया।

11. तत्पश्चात मृतका तारादेवी की पुत्री रौनक जिनकी उम्र करीब सात वर्ष थी, का बयान अंकित किया गया। रौनक ने बताया कि घटना वाली रात हम दोनों बहनें व मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी तारादेवी, पापा रामनरेश एक ही कमरे में सोए थे। मम्मी

पापा का झगड़ा होने लगा। हमलोग जाग गये। मेरे पापा ने लोहे का बाँट उठाकर मेरी मम्मी के सिर पर दे मारा। वो खून से लथपथ हो गयीं। मेरे मम्मी पापा का झगड़ा पहले भी होता था। मेरे पापा मारकर भाग गये थे। मेरे चाचा तथा बड़े पापा ने मिलकर मेरे पापा को पकड़ा था।

12. अब तक की गयी तमामी विवेचना से अभियुक्त केशपाल, रविन्द्र, रश्मिदेवी की नामजदगी गलत पायी गयी एवं अभियुक्त रामनरेश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न मूल आरोप पत्र को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श P-6** अंकित किया गया।

## प्रतिपरीक्षा

**समयाभाव के कारण जिरह जारी.....**

मेरे बोलने पर आज यह बयान
लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।